"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 27, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सौरभ साहू (Saurabh Sahu) पिता श्री कार्तिक राम साहू (Kartik Ram Sahu) आयु 52 वर्ष, निवासी-84/1, कार्तिक कुंज, कसारीडीह दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे स्कूल के समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम रूप नारायण दर्ज है एवं मेरे सर्विस के समस्त दस्तावेजों, आधार कार्ड, पेनकार्ड तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों में मेरा नाम सौरभ साहू दर्ज है जो मेरा वास्तविक नाम है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम सौरभ साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे सौरभ साहू पिता श्री कार्तिक राम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
रूप नारायण साहू पिता श्री कार्तिक राम साहू निवासी-84/1, कार्तिक कुंज, कसारीडीह दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	सौरभ साहू पिता श्री कार्तिक राम साहू निवासी-84/1, कार्तिक कुंज, कसारीडीह दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अंगद चौधरी (Angad Chaudhry) पिता श्री अशोक पंचभाई (Ashok Panchbhai) उम्र 28 वर्ष, निवासी-हाउस नं. 12, गोल्डन होम्स, खम्हारडीह, व्ही. आई. पी. क्लब के पास, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों में मेरा नाम MAHIM RAJ दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम अंगद चौधरी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे अंगद चौधरी पिता श्री अशोक पंचभाई के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
MAHIM RAJ S/o Shri Ashok Panchbhai Resd. H. No. 12, Golden Homes, Khamhardih Raipur (C. G.) 492007	ANGAD CHAUDHRY S/o Shri Ashok Panchbhai Resd. H. No. 12, Golden Homes, Khamhardih Raipur (C. G.) 492007

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भरत चौधरी (Bharat Chaudhry) पिता श्री अशोक पंचभाई (Ashok Panchbhai) उम्र 20 वर्ष, निवासी-हाउस नं. 12, गोल्डन होम्स, खम्हारडीह, व्ही. आई. पी. क्लब के पास, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों में मेरा नाम भरत राज (Bharat Raj) दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम भरत चौधरी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे भरत चौधरी पिता श्री अशोक पंचभाई के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
BHARAT RAJ S/o Shri Ashok Panchbhai Resd. H. No. 12, Golden Homes, Khamhardih Raipur (C. G.) 492007	BHARAT CHAUDHRY S/o Shri Ashok Panchbhai Resd. H. No. 12, Golden Homes, Khamhardih Raipur (C. G.) 492007

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती टुमेश्वरी साहू पति श्री टीकमचंद साहू, निवासी-ग्राम चंदखुरी, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे शालेय प्रमाण पत्र में मेरा नाम टुमेश्वरी साहू दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 7-2-2011 को श्री टीकमचंद साहू आ. बलराम साहू के साथ सम्पन्न हुआ. मेरे पति श्री टीकमचंद साहू के सर्विस रिकार्ड में त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम श्रुति साहू दर्ज हो गया है जो गलत है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती टुमेश्वरी साहू रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती टुमेश्वरी साहू पति श्री टीकमचंद साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमती श्रुति साहू पति श्री टीकमचंद साहू निवासी-ग्राम चंदखुरी तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती टुमेश्वरी साहू पति श्री टीकमचंद साहू निवासी-ग्राम चंदखुरी तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती डोने विजयलक्ष्मी रेड्डी धर्मपत्नि श्री डोने वेंकट सत्यनारायण रेड्डी निवासी-क्वा. नं. 7 ए, सड़क नं. 15, सेक्टर 5, थाना कोतवाली से. 6, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति के भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम भूलवश डी. विजयलक्ष्मी दर्ज हो गया है जो गलत है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती डोने विजयलक्ष्मी रेड्डी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती डोने विजयलक्ष्मी रेड्डी धर्मपत्नि श्री डोने वेंकट सत्यनारायण रेड्डी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
डी. विजयलक्ष्मी पति श्री डोने वेंकट सत्यनारायण रेड्डी निवासी-क्वा. नं. 7 ए, सड़क नं. 15, सेक्टर 5, थाना कोतवाली से. 6, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	डोने विजयलक्ष्मी रेड्डी पति श्री डोने वेंकट सत्यनारायण रेड्डी निवासी-क्वा. नं. 7 ए, सड़क नं. 15, सेक्टर 5, थाना कोतवाली से. 6, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग

दुर्ग , दिनांक 30 नवम्बर 2015

प्रारूप
[देखें नियम 5 (1)]

[छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छ.ग. लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) द्वारा लोक न्यासों के पंजीयक के समक्ष]

क्रमांक/8037/प्र. 2/अ.वि.अ./2015.—यत: कि इस न्यायालय में आवेदक/संस्थापक न्यासी श्री आसकरण एम. कांकरिया आ. स्व. श्री मिश्रीलाल जी कांकरिया निवासी ज्वाईन हैण्डस स्टेशन रोड दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग द्वारा ''मिश्रीचम्पा कांकरिया चेरिटेबल जैन ट्रस्ट, स्टेशन रोड दुर्ग'' के लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीयन किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, एतद्द्वारा सूचनापत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर मेरे न्यायालय में दिनांक 17-12-2015 को विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचनापत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	''मिश्रीचम्पा कांकरिया चेरिटेबल जैन ट्रस्ट, ज्वाईन हैण्ड्स, स्टेशन रोड दुर्ग थाना मोहननगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग
(2)	चल संपत्ति	:	रु. 11,000.00 (दिनांक 01-11-2015 की स्थिति में)
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

ए. के. बाजपेयी,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास भानुप्रतापपुर (छ. ग.)

भानुप्रतापपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2015

प्र. क्र. /ब-113 (1)/वर्ष 2015-16

क्रमांक/2096/अ.वि.अ. रीडर-1/2015.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री लक्ष्मी लाल बोथरा पिता स्व. जसराज बोथरा निवासी शान्तिपारा सम्बलपुर तहसील भानुप्रतापपुर द्वारा ''श्री सुधर्म जैन सेवा साधना केन्द्र एवं शिक्षण संस्थान सम्बलपुर ट्रस्ट'' तहसील भानुप्रतापपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक

ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है :—

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	''श्री सुधर्म जैन सेवा साधना केन्द्र एवं शिक्षण संस्थान सम्बलपुर ट्रस्ट'' तहसील भानुप्रतापपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ. ग.)	
(2)	चल संपत्ति	:	11,000.00 रु. नगद	
(3)	अचल संपत्ति	:	3,24,800/- रु. 9,05,000/- रु.	12,29,800.00

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियॉ प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से 03-01-2016 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात्, प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 03-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

यू. एस. साहू,
अनुविभागीय अधिकारी .

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उ. ब. कांकेर

कांकेर, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/585.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/259 दिनांक 25-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. कांकेर लट्ठीपारा पंजीयन क्र. 507 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी का परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर, छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, को प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री महेश मरकाम, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/2015/परिसमापन/586.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/259 दिनांक 25-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा स्टार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. कांकेर पंजीयन क्र. 520 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर, छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, को प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री महेश मरकाम, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/587.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/259 दिनांक 25-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा स्वप्रेरणा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. कांकेर पंजीयन क्र. 501 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर, छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, को प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री महेश मरकाम, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/588.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/259 दिनांक 25-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा शीतला महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. कांकेर पंजीयन क्र. 473 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया . इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी का परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर, छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, को प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री महेश मरकाम, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/589.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/259 दिनांक 25-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा काष्ठ कला कृषि उत्थान एवं विकास सहकारी समिति मर्या. भानुप्रतापपुर पंजीयन क्र. 511 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर, छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, को प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री कोमल हुपेण्डी, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/590.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/259 दिनांक 25-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा बाजार विकास सहकारी समिति मर्या. पखांजूर पंजीयन क्र. 466 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर, छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, को प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. प्रसाद, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/591.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा नवोदय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. रविन्द्रनगर पंजीयन क्र. 497 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये

जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर, छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, को प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. प्रसाद, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/592.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/259 दिनांक 25-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. कोदागांव (कांकेर) पंजीयन क्र. 550 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर, छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, को प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री महेश मरकाम, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/593.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा कृष्णा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. पी. व्ही. 101 विष्णुपुर पंजीयन क्र. 503 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर, छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, को प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. प्रसाद, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/594.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा मॉ भुनेश्वरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. कोकपुर पंजीयन क्र. 496 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर, छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, को प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री महेश मरकाम, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/595.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा स्वजल महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. पी. व्ही. 74 पंजीयन क्र. 538 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर, छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, को प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. प्रसाद, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/596.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा दीपशिखा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. पी. व्ही. 78 पंजीयन क्र. 536 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर, छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, को प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. प्रसाद, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/597.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा शक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. पी. व्ही. 21 पंजीयन क्र. 530 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर, छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, को प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. प्रसाद, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/598.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा मंतागिनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. पी. व्ही. 63 बलरामपुर पंजीयन क्र. 519 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने को पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर, छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, को प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. प्रसाद, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/599.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. पी. व्ही. 39 पंजीयन क्र. 455 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर, छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, को प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. प्रसाद, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/600.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा गुरूदेव ईंट, खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या. अंतागढ़ पंजीयन क्र. 521 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर, छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, को प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री जगदीश मरकाम, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/601.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा गुरूदेव पौध उत्पादक एवं बीज संग्रहण सहकारी समिति मर्या. अंतागढ़ पंजीयन क्र. 512 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर, छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, को प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री जगदीश मरकाम, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/602.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा महानदी विकास सहकारी समिति मर्या. साल्हेटोला पंजीयन क्र. 531 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर, छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, को प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री विजय कोड़ोपी, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/603.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा अमरदीप क्षेत्र विकास सहकारी समिति मर्या. छोटेबिठिया पंजीयन क्र. 513 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर, छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, को प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. प्रसाद, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/604.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा जय बूढ़ादेव विकसा सहकारी समिति मर्या. कांकेर पंजीयन क्र. 516 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर, छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, को प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री महेश मरकाम, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/605.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा पशुपालन क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या. कोकपुर पंजीयन क्र. 508 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया . इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर, छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, को प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री महेश मरकाम, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/606.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा रेशम उद्योग मलबरी सहकारी समिति मर्या. चारामा पंजीयन क्र. 437 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया . इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर, छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, को प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री तारम सिंह कुंजाम, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. ध्रुव,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.